भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 640

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

वेल्लोर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें

640. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वेल्लोर, अनाईकट्टू, के.वी. कुप्पम, गुडियाट्टम, वनियाम्बाड़ी और अंबुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद से लाभ होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राशन कार्ड के दुरुपयोग की शिकायतों के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय स्तर पर पीडीएस आधारभूत संरचना के उन्नयन की समयसीमा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): तमिलनाडु राज्य सरकार ने दिनांक 27.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार वेल्लोर, अनाईकट्टू, के.वी. कुप्पम, गुडियाट्टम, वनियाम्बाड़ी और अंबुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों (एजेंसी-वार) के कामकाज का विवरण अनुबंध के अनुसार प्रस्तुत किया है।

(ख): खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2024-2025 के दौरान वेल्लोर जिले के कुल 699 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, अंबुर और वनियाम्बाड़ी तिरुपत्तूर जिले के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जहाँ वर्तमान में कोई भी प्रत्यक्ष क्रय केंद्र कार्यरत नहीं है।

(ग): भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने और उससे निपटने के लिए कई प्रणालीगत और प्रौद्योगिकी-संचालित सुधार किए हैं। प्रमुख कदमों में शामिल हैं:

1. सभी 80 करोड़ लाभार्थियों के राशन कार्ड और लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, जिससे मैन्युअल रिकॉर्ड की ज़रूरत ख़त्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% से ज़्यादा राशन कार्डों (कम से कम एक सदस्य) और लगभग 99.2% व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

...2/-

2. दुरुपयोग को रोकने और सटीक वितरण सुनिश्चित करने के लिए, लगभग 99.6% (5.43 लाख में से 5.41 लाख) उचित दर की दुकानों को परिचालन ईपीओएस उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जिससे आधार-आधारित प्रमाणीकरण संभव हो गया है। खाद्यान्न वितरण का 98.5% (तमिलनाडु में 100%) अब आधार द्वारा प्रमाणित है।

3. सुदृढ़ शिकायत निवारण: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यात्मक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियां, समर्पित 1967/1800-श्रृंखला टोल-फ्री हेल्पलाइन और दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए पारदर्शिता पोर्टल हैं।

4. लाभार्थियों का ई-केवाईसी: आधार डाटा को राशन कार्ड विवरण के साथ मिलान करने और फर्जी/डुप्लिकेट प्रविष्टियों पर अंकुश लगाने के लिए, मई 2023 में ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब तक 85.6% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है (तमिलनाडु में 89.10%)। समापन को त्वरित करने के लिए, लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित दर की दुकान से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

5. केंद्रीकृत मैपर रिपोर्ट तंत्र: सटीक मासिक वितरण सुनिश्चित करने और पात्रताओं के दुरुपयोग या अधिक निकासी को रोकने के लिए, विभाग ने एक केंद्रीकृत मैपिंग प्रणाली विकसित की है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ईपीओएस लेनदेन डाटा के साथ एनएफएसए राशन कार्ड डाटा को एकीकृत करती है और लाभार्थी की पहचान और मासिक पात्रताओं को मान्य करती है।

(घ): वेल्लोर में उचित दर की दुकानों के आंतरिक और बाह्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए, राज्य ने चरणबद्ध आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। चरण-I के अंतर्गत, 3139 उचित दर की दुकानों का आधुनिकीकरण किया गया। चरण-II के लिए, 5000 दुकानों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 4514 का आधुनिकीकरण किया जा चुका है, और शेष 486 दुकानों को चरण-III के लक्ष्य तक आगे बढ़ाया गया है।

अवसंरचना में सुधार के अलावा, राज्य ने गुणवत्ता और सेवा मानकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 11,029 उचित दर की दुकानों ने गुणवत्ता प्रबंधन और अनुरक्षण पद्धतियों के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त किया है, और 2059 उचित दर की दुकानों ने सुरक्षित खाद्य श्रृंखला और भंडारण प्रणालियों से संबंधित आईएसओ 28000 प्रमाणन प्राप्त किया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 640 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 27.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार वेल्लोर, अनाईकट्टू, के.वी.कुप्पम, गुडियाट्टम, वनियाम्बाड़ी और अंबूर में पीडीएस दुकानों (एजेंसी-वार) के कामकाज का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. संख्या	जिला	तालुका	टीएनसीएससी			सहकारी			एसएचजी			अन्य सहकारी समितियां			कुल		
			अंशकालिक	पूर्ण कालिक	कुल	अंशकालिक	पूर्ण कालिक	कुल	अंशकालिक	पूर्ण कालिक	कुल	अंशकालिक	पूर्ण कालिक	कुल	अंशकालिक	पूर्ण कालिक	कुल
1	वेल्लोर	अनाईकट्टु	0	0	0	21	108	129	0	1	1	0	0	0	21	109	130
2	वेल्लोर	गुडियाट्टम	0	2	2	53	90	143	0	0	0	0	0	0	53	92	145
3	वेल्लोर	के.वी. कुप्पम	0	0	0	8	64	72	0	0	0	0	0	0	8	64	72
4	वेल्लोर	वेल्लोर	0	27	27	33	105	138	0	1	1	0	0	0	33	133	166
5	तिरुपत्तूर	अंबुर	0	1	1	24	85	109	0	0	0	0	0	0	24	86	110
6	तिरुपत्तूर	वनियाम्बाड़ी	0	2	2	26	70	96	0	1	1	0	0	0	26	73	99

*****